(534)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प. 8(1) नविवि/3/95 दिनांक: 20.06.2003

आदेश

विषय– **शहरी क्षेत्रों की कच्ची बस्तियों में 15 अगस्त, 1998 तक के अनाधिकृत रूप से राजकीय भूमि पर बनाये गये आवासीय/व्यावसायिक निर्माणों के नियमन के संबंध में।**

इस विभाग के समसंख्यांक परिपत्र दिनांक 20.6.2003 के द्वारा शहरी क्षेत्रों की कच्ची बस्तियों का नियमन बाबत निर्देश जारी किये गये थे। इस विभाग के समसंख्यांक आदेश दिनांक 14.7.2003 के द्वारा उक्त आदेश के पैरा 4 में वर्णित प्रमाण–पत्र को संशोधित किये जाने के कारण प्रमाण–पत्र जारी किये जाने पर रोक लगाई गई थी। इस संबंध में निर्णय लिया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश दिनांक 20.6.2003 के पैरा 4 में वर्णित प्रमाण–पत्र के स्थान पर निम्न प्रारूप में प्रमाण–पत्र जारी किया जावे। इस सम्बंध में कार्यवाही निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित की जावे।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.. ....पुत्र/पत्नी श्री.....................................पता.. सर्वेशुदा कच्ची बस्ती.. में दिनांक 15 अगस्त, 1998 से पूर्व से निवास कर रहे हैं। कब्जाशुदा भूमि का सर्वे नम्बर...............................एवं क्षेत्रफल................................ वर्गगज है।

भविष्य में राज्य सरकार द्वारा इस बाबत जो भी नीति निर्धारित की जायेगी उसके अनुसार इस प्रमाण–पत्र के आधार पर नियमन/पुनर्वास की कार्यवाही की जा सकेगी।

उपायुक्त/सचिव/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी

(40-G)
(69)